(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या 28/2019

उनवान

1. सुगरी पत्नी स्व0 श्री निजाम जाति चीता उम्र करीब ...निवासी ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर
2. बरकती पुत्री स्व0 निजाम पत्नी श्री किशन जाति चीता उम्र करीब 30 वर्ष हाल निवासी ग्राम खरेखडी
3. लीला पुत्री निजाम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर
4. फरीदा पुत्र स्व0 निजाम उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर
5. पिंटू पुत्र स्व0 निजाम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. सेला पुत्र स्व0 रहीमा उम्र करीब 49 वर्ष जाति चीता निवासी खरेखडी तहसील व जिला अजमेर
2. भंवरी पुत्री स्व0 रहीमा व पत्नि सोहन उम्र करीब 58 वर्ष निवासी नया बाडिया ब्यावर जिला अजमेर
3. जरीना पुत्री स्व0 रहीमा व पत्नी श्री कादर जी, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी हाल ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
4. आईचुकी पुत्री स्व0 रहीमा व पत्नी घीसा जी, उम्र करीब 43 वर्ष हाल निवासी हाल पहाडगंज तहसील व जिला अजमेर
5. सुगना पुत्री रहीमा व पत्नी बादशाह उर्फ बासू उम्र 41 निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

Scanned with CamScanner

स्व. निजाम

6. बिशमीला पुत्री स्व0 रहीमा व पत्नी श्री सायल जी उम्र 39 निवासी पहाडगंज अजमेर

7. पटवारी महोदय पटवार हल्का ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

9. उप पंजीयक महोदय उप पंजीयन कार्यालय द्वितीय घूघरा घाटी अजमेर

10. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत खरेखडी तहसील व जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 17.07.2019.

वादी की ओर से श्री मुकेश सिह रावत की व प्रतिवादी की ओर से –श्री हेमन्त सिह राठौड की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.07.2019 को डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि :– ग्राम खरेखडी तहसील व जिला अजमेर की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 290 / 2724 रकबा 0.0500 है. किस्म बा. 1, खसरा नम्बर 1241 रकबा 0.1400 है किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.0900 है किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.0900 है किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.1400 है किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.0700 है किस्म बा 3, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.0700 है, किस्म बा 3 खसरा नम्बर 1309 / 2672 रकबा 0.0300 है किस्म बा 3 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के निहित खातेदारी हक हिस्से के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तीन प्रतियों में अविलम्ब तहसीलदार अजमेर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। दोनो पक्षकारो की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे ।

यह आज तारीख 17.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर की गई ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

क्षी– ग्राम खरेखडी, तह. व जिला अज

स्व. निजाम 23 वर्ष

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	–
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीटर की फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
फीस कमीशनर		कमिशनर की फीस	
आदेशिका की तामिल		योग	
योग			

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner